

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी
 राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पेश किया गया था जो सख्त सिद्ध है पत्रावली को प्रतिवादी से 3 से 6 मा 2 दिनों के लिए ले ली है पत्रावली दिनांक 2.4.18 को पेश हो। @md 5.3.18</p>
		<p>2.4.18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7.5.18 को पेश हो। @md 2.4.18</p>
	27.4.18	<p>पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही के लिए पेश हो। मन्तोहरपुरा में दि. 18.5.18</p>
		<p>पत्रावली आल राजस्व लोक अदालत अदालत आपके डाट चेम्प कोर्ट मन्तोहरपुरा में पेश हुई। प्रतिवादी से 1 व 2 दिनों उपस्थित किया प्रतिवादी मन्तोहरपुरा में पेश हो मन्तोहर पुरा में ही है प्रतिवादी से 1 व 2 दिनों आगत वकूलाय कि वादिका दिनांक 17.10.2017 को पेश हो पुकी है वादिका के कार्यालय द्वारा @md</p>

~~श्री अशोक शर्मा~~
 वकूलाय

श्री कुन्दला
 सरपंच
 शकुन्तला देवी मीना
 ग्राम पंचायत मन्तोहरपुरा
 बस्सी (जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

आपने मुकाम की कार्यवाही हेतु कोई
उपरोक्त पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा
वाडिया के फोटो 5ए 7 माह उपरोक्त हो
चुके हैं अतः वाडिया का वाद अवरट
हो जाने से स्वार्थि फटमाया जावे।

पतावली का अवलोकन एवं
प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वाड पर
सुनने एवं उपस्थित और विमान से जासूसी
करने तथा लोक अदालत हेतु गठित समिति
के निर्णयानुसार वाड प्राप्त श्री रा. सं.
69, 112 वृद्ध विवा 2 वृद्ध स्त्री 14 दीक्षा
5 विवा विधवा गति आर्यी व दीक्षा व श्री
जिला जयपुर के समन सं. में प्रतिवादी
सं. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत मुकाम प्रमाण पर
के अनुसार वाडिया के फोटो 5ए 7 माह
उपरोक्त हो चुके हैं अतः वाड भी वाडिया
की चोर से वाडिया के वास्तविक दादा काणा
मुकाम की कार्यवाही नहीं की है अतः अत
कार्यवाही CPC के अनुसार 90 दिवस में
करनी चाहिए अतः निवेदन के आधार
पर वाडिया का वाद अवरट हो जाने से
वाडिया का वाद स्वार्थि विजा जाता है इसी प्रकार
पतावली नम्बर से अतः हो।

आज्ञा दिनांक 18.5.18 को प्रदत्त निर्णय

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कानी पुत्री स्व. लक्ष्मण पत्नि रामू (फौह) जाति मीणा निवासी ग्राम भांखरी तह. बस्सी हाल निवासी ग्राम बाढ श्योपुर तह. सांगानेर जिला जयपुर।		1. बालूराम पुत्र स्व. लक्ष्मण 2. कल्याण पुत्र स्व. लक्ष्मण समस्त जाति मीणा समस्त निवासी ग्राम भांखरी तह. बस्सी, जिला जयपुर। 3. नाथी पुत्री स्व. लक्ष्मण पत्नि प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम भांखरी तह. बस्सी हाल निवासी ग्राम बाढ श्योपुर तह. सांगानेर जिला जयपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 5. सबरजिस्ट्रार बस्सी। 6. बैंक ऑफ इण्डिया जरिये मैनेजर शाखा कल्याणपुरा तह. बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 234/16

निर्णय दिनांक 18.05.2018

वादग्रस्त भूमि ख.नं. 69 रकबा 3 बीघा, ख.न. 112 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम भांखरी तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में दावा वादिया अबेट हो जाने से वादिया का वाद खारिज किया जाता है। निजी..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.18 को जारी किया गया।

दस्तख्त..... 18
ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी